न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

NDPS Case No–03/2026

{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित– कमला प्रसाद,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम नीतीश कुमार

जमानत आदेश

09.04.2026

1– प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन जमुई थाना कांड संख्या–484/2025 में एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा–8/20(b)(ii)(C)/25/29 एवं धारा 25(1–B)a/26(i)/35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त **नीतीश कुमार** पिता–राजबली सिंह साकिन–चँदबारा, थाना–जमुई, जिला–जमुई (बिहार) की ओर से नियमित जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 30.08.2025 से काराधीन है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.08.2025 को समय 10:00 बजे पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गुप्त सूचना मिली कि ऋषभ सिंह पे0 राजबली सिंह साकिन चन्दवारा थाना व जिला जमुई अपने घर के आवासीय परिसर से अवैध रूप से गांजा का कारोबार करते है और आज एक वाहन से बाहर से भारी मात्रा में गांजा लाकर अपने घर पर रखने वाले है। इस संबंध में सनहा अंकित किया। गुप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय ज्ञापांक 4744/गो0 दिनांक 29.08.2025 प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। समय करीब 10:15 बजे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर जमुई जिला असूचना ईकाई की टीम के साथ सूचक, सशस्त्र बल के रिजर्व गार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर डिजिटल तराजू, अनुसंधान किट सामाग्री के साथ थाना से करीब 10:40 बजे सरकारी वाहन से प्रस्थान किया, समय करीब 11:05 बजे ऋषभ सिंह के घर के पास पहुँचा तो देखा कि उजले रंग के KWID कार से तीन व्यक्ति पैकेट निकालकर घर में रख रहें है जो पुलिस को देखकर तीनों व्यक्ति भागने लगे, पुलिस पदाधिकारी एवं बल के साहयोग से तीनों व्यक्ति को पकड़ लिया तीनों का नाम, पता पूछने पर नीतीश कुमार पे0 राजबली सिंह, साकिन चन्दवारा थाना व जिला जमुई, सोनू कुमार पे0 लखीन्द्र पासवान साकिन रघुनाथपुर थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर एवं मो0 हुसैन पे0 मो0 असलम साकिन मोहीउद्दीनपुर थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर बताया। तीनों पकड़ाये व्यक्ति से गहनता से पूछताछ करने पर बताया कि गांजा का खेप लेकर आये थे जिसे ऋषभ सिंह के घर पर उतार कर रख रहें हैं। पकड़ाये नीतिश से पूछने पर बताया कि ऋषभ सिंह इनका छोटा भाई है। जो अभी घर से बाहर खड़ा था, आपलोगों को देखकर गॉव की ओर भागा है। पूछने पर नीतीश ने बताया कि अपने भाई, पिता एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध रूप से गांजा का व्यापार करते है। नीतीश सिंह को एन0डी0पी0एस0 की धारा 50 के अन्तर्गत पकड़ाये व्यक्ति एवं उसके घर की घेराबंदी तथा तलाशी के संबंध में उपबंधों की विस्तृत जानकारी के साथ एक नोटिस दिया एवं पूछा तो बताया कि आवासीय परिसर का तलाशी किसी राजपत्रित पदाधिकारी/दण्डाधिकारी से करवाना चाहते है। उनके सहमति से ललिता कुमारी अंचलाधिकारी सदर जमुई एवं पुलिस पदाधिकारी समय 11:50 बजे, दण्डाधिकारी की उपस्थिति में उपस्थित नीतीश सिंह पे0 राजबली साकिन चन्दवारा थाना व जिला जमुई एवं ऋषभ सिंह के आवासीय परिसर की तलाशी हेतु स्थानीय साक्षी की खोज की गई, स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी सूचना दी गई लेकिन ऋषभ सिंह के डर से कोई नहीं आये तो अपने साथ के पुलिस पदाधिकारी एवं छापामारी दल एवं स्वयं की तलाशी देते हुये पकड़ाये तीनों व्यक्ति के निशानदेही पर ऋषभ सिंह के आवासीय परिसर की तलाशी दण्डाधिकारी की उपस्थिति में विडियोग्राफी करते हुए प्रारंभ की गई, सर्वप्रथम् नीतिश सिंह के बदन की तलाशी ली गई तो उसके पास एक काला रंग का नोकिया का की'पैड मोबाईल जिसमें 8084150765 सिम लगा, एक एप्पल कम्पनी का मोबाईल बिना सिंम का एवं मो0 हुसैन के पास से विवो कम्पनी का स्क्रीन टच मोबाईल जिसका IMEI no. 861433065316912, 861433065316904 बरामद हुआ। बरामद मोबाईल एवं KWID कार जिसका रजि0 नं0 BR01JF 8785 है सबका विधिवत् जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। जप्ती सूची की एक–एक प्रति पकड़ाये व्यक्तियों को दिया गया, प्राप्ति स्वरूप अपना हस्ताक्षर बनाया।

लगातार..........

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
<u>NDPS Case No–03/2026</u>
{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित– कमला प्रसाद,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम नीतीश कुमार

–लगातार–

<u>09.04.2026</u>

तत्पश्चात् तीनों के निशानदेही पर ऋषभ सिंह के घर में प्रवेश के दक्षिण दरवाजे के बगल में जमीन के अंदर बने तहखाना से भारी मात्र में गांजा जैसा पदार्थ रखा हुआ, मिला जिसे निकालने पर 22 (बाईस) बोरा एवं 20 (बीस) पैकेट बरामद हुआ। नीतीश सिंह से पूछने पर बताया कि सभी बोरा एवं पैकेट में गांजा है। सुंघने पर गांजा जैसी गंध आ रही थी। बरामद सभी बोरा एवं पौकेट को लेवलिंग कर बारी–बारी से डिजिटल तराजू से वजन करने पर बरामद सभी बाईस बोरा सहित कुल वजन 351.650 किलोग्राम (तीन सौ इक्यावन किलो छह सौ पचास ग्राम) एवं बरामद पैकेट से कुल 60 (साठ) किलोग्राम गंजा जैसा पदार्थ बरामद किया गया। सभी बरामद गांजा जैसा पदार्थ को अलग–अलग सील बंद किया गया। सभी बोरा एवं पैकेट मिलाकर कुल 411.650 किलोग्राम (चार क्विंटल ग्यारह किलो छह सौ पचास ग्राम) बरामद हुआ। सभी सील बंद पैकेट पर उपस्थित दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, साक्षी एवं अभियुक्त का हस्ताक्षर कराया गया एवं जप्ती सूची की एक–एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को दिया गया प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर बनाया।

नीतीश कुमार के द्वारा बताया गया कि लम्बे समय से उसके भाई ऋषभ सिंह एवं पिता के साथ गांजा का कारोबार कर रहें हैं, जिससे काफी मात्रा से अवैध कमाई भी किये है। गांजा के व्यापार से प्राप्त पैसा घर के दक्षिण–पूरब कमरा में लकड़ी के सन्दूक में रखा है। सन्दूक का विधिवत् तलाशी लेने पर कुल 70,77,105/– (सत्तर लाख सतहत्तर हजार एक सौ पॉच रूपये) बरामद हुआ। सभी बरामद रूपये को शील बंद कर मर्क लगाया गया तथा सभी उपस्थित दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, साक्षी एवं अभियुक्त का हस्ताक्षर कराया गया एवं जप्ती सूची की एक–एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को हस्तगत कराया गया। उनके घर के पश्चिम कमरा का विधिवत् तलाशी लेने पर कमरा के छजी पर एक झोला में छुपाकर रखा दो देशी कट्टा एवं .315 बोर का दस जिन्दा कारतूस एवं तीन खोखा बरामद हुआ सभी कारतूस मे पेंदी पर 8 एम0एम0 के0एफ लिखा हुआ बरामद हुआ। बरामद कट्टा एवं गोली को उजले रंग के प्लास्टिक के झोला में विधिवत् सील बंद किया गया। बरामद सभी सामानों को विधिवत् दण्डाधिकारी की उपस्थिति में जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया जिसपर दण्डाधिकारी सहित दोनों गवाहों ने अपना हस्ताक्षर किया, जप्ती सूची की एक–एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को दिया एवं प्राप्ति हस्ताक्षर लिया। वहीं घर के बाहर चार मोटरसाईकिल लगी हुई थी, चारो मोटरसाईकिल के संबंध में पूछने पर नीतीश कुमार द्वारा बताया गया कि सभी मोटर साईकिल पकड़ाये व्यक्तियों की है, इस मोटरसाईकिल से गांजा को स्थानीय स्तर पर लाने एवं पहुँचाने में उपयोग करते है। रॉयल एन फिल्ड **BR53H-2503,** यमाहा **FZS** जिसका रजि0नं0 **BR01HW-5512,** होंडा एक्टिवा स्कूटी 125 जिसका रजि0 नं0 **BR01FK1292** एवं बजाज सी0टी0 100 रजि0 अंकित नहीं चेचिस नं. **MD2A18AY3hPL05395** अंकित है, बरामद सभी चारो मोटर साईकिल का विधिवत् दण्डाधिकारी की उपस्थिति में जप्ती सूची बनाकर जप्त किया तथा दोनों गवाहों ने प्राप्ति स्वरूप अपना हस्ताक्षर बनाया। इस प्रकार आवासीय परिसर में अवैध गांजा रखने, परिवहन करने व्यापार करने एवं अवैध गोली पिस्तौल रखने के आरोप में ऋषभ सिंह, नीतीश कुमार दोनों पे0 राजबली सिंह एवं राजबली सिंह पे0 स्व0 चन्द्रदेव सिंह तीनों साकिन चन्दवारा थाना व जिला जमुई, सोनू कुमार पे0 लखीन्द्र पासवान साकिन रधुनाथपुर थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर, मो0 हुसैन पे0 मो0 असलम साकिन मोहीउद्दीनपुर थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर एवं अन्य अज्ञात सहयोगियों को आरोपित करते हुये नीतीश कुमार पे0 राजबली सिंह साकिन चन्दवारा थाना व जिला जमुई, सोनू कुमार पे0 लखीन्द्र पासवान साकिन रधुनाथपुर थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर, मो0 हुसैन पे0 मो0 असलम साकिन मोहीउद्दीनपुर थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर को विधिवत् गिरफ्तारी मेमो बनाकर गिरफ्तार किया।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन किए कि आवेदक अभियुक्त दिनांक 30.08.2025 से काराधीन है। आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत

लगातार..........

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—तृतीय, जमुई

NDPS Case No—03/2026

{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित— कमला प्रसाद,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम नीतीश कुमार

—लगातार—

09.04.2026

आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन धारा 482 या 483 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत माननीय सत्र न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नही किया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध इस वाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद लंबित नहीं है। आवेदक अभियुक्त को धारा 35(3) बी0एन0एस0 का नोटिस नहीं दिया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, आवेदक को स्थानीय दुश्मनी एवं सरारती तत्वों द्वारा झूठा फंसाया गया है। आवेदक के सचेतन कब्जे या उसके घर या क्विड जप्त वाहन से कथित गांजा बरामद नहीं किया गया है और न कथित जप्त अवैध सामान एवं क्विड कार जप्त वाहन से कोई सरोकार है। आवेदक अभियुक्त के घर से न तो कट्टा या न तो कोई गोली या न ही खोखा बरामद किया गया था, आवेदक को दुश्मनी के कारण मनगढ़ंत, स्थानीय सरारती तत्वों एवं पुलिस द्वारा फंसाया गया है। कथित बरामद रूपया, मोबाईल, मोटरसाईकिल ये सभी चीजें उनके परिवार के सदस्यों की है। आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्यों ने कथित रूप से जब्त की गई धनराशि को अपने गॉव में जमीन खीदने के लिए रखा था जो उन्होंने कजरा पुलिस स्टेशन, लखीसराय स्थित ननीहाल की जमीन बेचकर अग्रिम रूप से हासिल प्राप्त की थी। यह कि एन0डी0पी0एस0 की धारा 52ए, 55 और 57 तथा अधिनियम की धारा 42(1) में निहित कानून के अनिवार्य प्रावधान को उल्लंघर किया गया है इसका उल्लेख लिखित रूप से दर्ज नहीं किया गया है। कथित जप्ती एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है। पुलिस द्वारा आवेदक अभियुक्त का कोई संस्वीकृति बयान नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा, शस्त्र अधिनियम एवं कथित अपराध सिद्ध नहीं होता है। आवेदक अभियुक्त एक छात्र है तथा उसका पूर्ववृत्त स्वच्छ है तथा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय के संतुष्टियोग्य बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत पर मुक्त करने का अनुरोध करते है।

4— विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का घोर विरोध किया एवं जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन करते हैं।

5— उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी एन0डी0पी0एस0 एक्ट की 08, 20(b)(ii)(C), 25, 29 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-B)a, 26(i), 35 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

उक्त वाद में जब्ती का स्थान साकिन चन्दवारा स्थित अभियुक्त का घर थाना जमुई जिला जमुई से 18 किलोमीटर उत्तर—पश्चिम। जब्त वस्तुएं— 411.650 किलोग्राम(चार क्विंटल ग्यारह किलो छः सौ पचास ग्राम गांजा, दो देशी कट्टा एवं .315 वोर का दस जिन्दा कारतूस एवं तीन खोखा तथा घर के दक्षिण पूरब कमरा में रखे लकड़ी का एक सन्दूक से कई झोला में रखा 7077105(सत्तर लाख सतहत्तर हजार एक सौ पांच रूपये), क्विड कार जिसका नंबर बी0आर001जे0एफ08745, रॉयल इनफिल्ड मोटरसाईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बी0आर053एच0—2503, यमहा एफ0जेड0एस0 जिसका रजि0 नंबर बी0आर001एच0 एफ061292, बजाज सी0टी0 100 रजि0 नंबर अंकित नहीं, चेचिस नंबर एम0डी0जेड0 ए0 18ए0 वाई03एच0पी0एल005395 है।

यह वाद विचारण एवं सुनवाई हेतु माननीय प्रधान जिला जज के न्यायालय से स्थानांतरित होकर दिनांक 24.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। प्राथमिकी के अनुसार गुप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 4744/गो0 दिनांक 29.08.2025 के आलोक में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जमुई के नेतृत्व में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया तथा करीब 10—15 बजे अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जिला असूचना इकाई

लगातार..........

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—तृतीय, जमुई
NDPS Case No—03/2026
{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित— कमला प्रसाद,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम नीतीश कुमार

—लगातार—

09.04.2026

की टीम के साथ सूचक शेखर सौरभ थाना रिजर्व गार्ड के सशस्त्र बल के साथ लैपटॉप, प्रिंटर, डिजिटल तराजू एवं अनुसंधान किट के साथ 10:40 बजे सरकारी वाहन से प्रस्थान किया तथा करीब 11:05 बजे ऋषभ सिंह पे0 राजबली सिंह सा0 चन्दवारा थाना+जिला—जमुई के घर के पास पहुंचा तो देखा कि उजले रंग के क्विड कार से तीन व्यक्ति पैकेट निकाल कर घर में रख रहे हैं जो पुलिस को देखकर तीनों व्यक्ति भागने लगा। जिसे साथ के पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से पकड़ा गया एवं तीनों व्यक्तियों से नाम, पता पूछा गया तो अपना नाम 1. नीतिश कुमार उम्र 25 वर्ष पे0 राजबली सिंह सा0 चन्दवारा, थाना+जिला—जमुई, 02 सोनू कुमार उम्र 21 वर्ष, पे0 लखेन्द्र पासवान सा0 रघुनाथपुर, थाना समरा जिला मुजफ्फरपुर, 03 मो0 हुसैन उम्र करीब 23 वर्ष पे0 मो0 असलम सा0 मोहीउद्दीनपुर, थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर बताये। तीनों व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि हम लोग इसी कार से गांजा का खेप लेकर आये थे। जिसे ऋषभ सिंह के घर पर उतार कर रख रहे थे। पूछने पर नितीश कुमार सिंह ने बताया कि ऋषभ सिंह उनका छोटा भाई है जो अभी घर के बाहर ही खड़ा था आपलोगों को आते देख गांव की ओर भागा है। पूछने पर नीतीश सिंह ने बताया कि ये अपने भाई, पिता एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध रूप से गांजा का व्यापार करते हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों के इच्छा व्यक्त करने पर अनुमण्डल पदाधिकारी जमुई के द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी ललिता कुमारी अंचालधिकारी सदर जमुई की उपस्थिति में नीतिश सिंह पे0 राजबली सिंह सा0 चन्दवारा थाना व जिला जमुई एवं ऋषभ सिंह के आवासीय परिसर की तालासी लेने हेतु स्वतन्त्र साक्षी का खोज किया गया। आस—पास के लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया। परन्तु ऋषभ सिंह. के डर एवं भय से कोई भी स्थानीय ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात् अपने साथ के पुलिस पदाकारी पु0अ0नि0 अखिलेश कुमार एवं परि0 पु0अ0 नि0 निकेश कुमार के समक्ष अपनी एवं अपने छापामारी दल के सभी सदस्यों का बारी बारी से विधिवत् तालाशी दिया तो पहने कपड़े और अनुसंधान किट के अलावा कुछ नहीं मिला। तत्पश्चात् पकड़ाये तीनों व्यक्तियों के निशानदेही पर ऋषभ सिंह के आवासीय परिसर की विडियोग्राफी कराते हुए पकड़ाये व्यक्तियों एवं उक्त आवास का तालाशी प्रारम्भ किया गया तो नीतिश सिंह के पास से नोकिया की—पैड मोबाईल में 8084150765 नंबर का सिम लगा हुआ एवं एक एप्पल कंपनी का मोबाईल बिना सिम का एवं मो0 हुसैन के पास से विवो कंपनी का स्क्रीन टच मोबाईल जिसका आई0ई0एम0आई नंबर 861433065318912 861433065316904 बरामद हुआ। बरामद मोबाईल एवं क्विड कार का जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। जिसकी एक—एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को दिया गया तथा प्राप्ति हस्ताक्षर लिया गया।

तत्पश्चात् इन तीनों के निशानदेही पर ऋषभ सिंह के घर के प्रवेश के दक्षिण दरवाजे के बगल में जमीन के अन्दर बने तहखाने से भारी मात्रा में गांजा जैसा पदार्थ रखा हुआ मिला। जिसे निकालने पर 22 बोरा एवं 20 पैकेट बरामद हुआ। नीतिश सिंह द्वारा बताया गया कि इस सब बोरा एवं पैकेट में गांजा है। बोरा को सूंघने पर गांजा जैसा गंध आ रहा था। बरामदगी बोरा एवं पैकेट को लेबलिंग कर बारी—बारी से डिजिटल तराजू पर वजन करने से कुल वजन 411.650 (चार क्विंटल ग्यारह किलो छः सौ पचास) ग्राम हुआ जिसका विवरण जब्ती सूची में अंकित है तथा उनके कमरा का तालाशी लेने पर कमरा के छज्जी पर एक झोला में छुपा कर रखा दो देशी कट्टा एवं .315 बोर का 10 जिन्दा कारतूस एवं तीन खोखा बरामद हुआ। सभी कारतूस के पेदी पर 8 एम0एम0के0एफ0 लिखा हुआ बरामद हुआ। कट्टा एवं गोली उजले रंग के प्लास्टिक झोला में रखकर झोला बन्द किया गया। जब्ती सूची पर दण्डाधिकारी सहित दोनों गवाहों ने अपना हस्ताक्षर किया। जब्ती सूची का एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को दिया गया एवं प्राप्ति हस्ताक्षर लिया।

नितीश कुमार के द्वारा यह भी बताया गया कि लंबे समय से अपने भाई ऋषभ सिंह एवं पिता के साथ गांजा का कारोबार कर रहे हैं। जिससे काफी मात्रा में अवैध कमाई भी किये हैं। गांजा के

लगातार...........

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

<u>NDPS Case No–03/2026</u>

{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित– कमला प्रसाद,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम नीतीश कुमार

–लगातार– **<u>09.04.2026</u>** व्यापार से प्राप्त पैसा घर के दक्षिण पूरब कमरा में लकड़ी के सन्दूक में रखा है। सन्दूक का तालाशी लेने पर कई झोलों में रखा काफी संख्या में रूपया बरामद हुआ। कुल 7077105/– (सत्तर लाख सतहत्तर हजार एक सौ पाँच) रूपया बरामद हुआ। जिसका विवरण जब्ती सूची में है। बरामद सभी पैकेट को जे0–01 से जे0–04 तक एक प्लास्टिक के बोरा में रख कर सील किया गया तथा जब्ती सूची एवं जब्त प्रदर्श पर सभी पुलिस पदाधिकारी उपस्थित दण्डधिकारियों एवं अभियुक्त का हस्ताक्षर कराया गया एवं पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को जब्ती सूची का एक प्रति दिया गया एवं प्राप्ति हस्ताक्षर कराया गया।

वही घर के बाहर चार मोटर साईकिल लगी हुई थी। इस सम्बन्ध में पूछने पर नितीश कुमार ने बताया कि सभी मोटर साईकिल इन लोगों का ही हैं। इस मोटरसाईकिल से गांजा को स्थानीय स्तर पर लाने एवं पहुंचाने में उपयोग करते हैं बरामद सभी चारों मोटरसाईकिलों का जब्ती सूची बनाकर साक्षियों का हस्ताक्षर कराया गया। जब्ती सूची की एक–एक प्रति अभियुक्तों को हस्तगत कराकर प्राप्ति का हस्ताक्षर कराया गया। जब्ती सूची अभिलेख पर है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जब्ती सूची पर आवेदकगण का हस्ताक्षर है तथा जब्ती सूची का एक एक प्रति आवेदकगण को प्राप्त कराया गया है। जब्ती का कार्यवाही घटनास्थल पर मजिस्ट्रेट के सामने किया गया तथा जब्ती एवं जब्ती सूची की कार्यवाही के समय विडियोग्राफी किया गया है जिसका उल्लेख प्राथमिकी में भी किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिलेख अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि पुलिस बल को देखकर आवेदक भागने लगा तब पुलिस बल एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा घेरा बन्दी कर खदेड़कर अभियुक्त को पकड़ा गया तथा जब्त गांजा जिस घर से बरामद हुआ वह घर आवेदक नीतिश का घर है तथा आवेदक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं इसलिए घर के प्रत्येक स्थान पर परिवार के सभी सदस्यों का समान रूप से कब्जा की उपधारणा है और आवेदक पुलिस को यह भी बताया कि उसका भाई ऋषभ सिंह भी वहां खड़ा था जो पुलिस को देखकर भागने में सफल रहा तथा वह अन्य अभियुक्तों एवं अपने भाई ऋषभ सिंह एवं पिता राजबली सिंह के साथ गांजे का व्यवसाय करता है एवं इसी आवेदक के निशानदेही पर उसके घर से लकड़ी के संदूक से कुल 7077105(सत्तर लाख सतहत्तर हजार एक सौ पाँच) रूपया बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध में आवेदक अथवा सहअभियुक्तों द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका।

अन्य सहअभियुक्तों के साथ आवेदक के विरूद्ध भी आरोप पत्र संख्या 102/26 दिनांक 22.02.2026 को धारा 8, 20(b)(ii)(c), 25, 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट तथा धारा 25(1-B)a, 26(i), 35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत समर्पित किया गया है। जबकि इस वाद में आवेदक दिनांक 30.08.25 से कारा में संसीमित है तथा जमानत आवेदन के कंडिका 03 में आवेदकगण द्वारा कथन किया गया है कि इस वाद के अतिरिक्त इनका अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा आवेदक कोई अवैध कार्य नहीं किया है। पुलिस द्वारा आवेदक के मौलिक अधिकारों का बर्बरता पूर्वक हनन किया गया है। पुलिस/अनुसंधानकर्ता एजेंसी द्वारा किया गया गिरफ्तारी विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना किया गया है। इस प्रकार आवेदक की गिरफ्तारी अवैध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मिहिर राजेश साह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य, क्रिमिनल अपील नंबर–2195/2025 में दिनांक 06.11.2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के तथ्यों के तरफ इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया जिसके अनुसार, i) The constitutional mandate of informing the arrestee the grounds of arrest is mandatory in all offences under all statutes including offences under IPC 1860(now BNS 2023); (ii) The grounds of arrest must be communicated in writing to the arrestee in the language he/she understands; (iii) In case(s) where, the arresting officer/person is unable to communicate the grounds of arrest in writing on or soon after

लगातार..........

उपस्थित— कमला प्रसाद,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम नीतीश कुमार

—लगातार—

09.04.2026

arrest, it be so done orally. The said grounds be communicated in writing within a reasonable time and in any case at least two hours prior to production of the arrestee for remand proceedings before the magistrate. (iv) In case non-compliance of the above, the arrest and subsequent remand wound be rendered illegal and the person will be at liberty to be set free.

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि आवेदक को गिरफ्तार करने के बाद तथा रिमाण्ड करने के पहले गिरफ्तारी का आधार लिखित में अभियुक्त को प्रदान ही नहीं किया गया है। इसप्रकार आवेदक की गिरफ्तारी अवैध है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक एवं सहअभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या 102/26 दिनांक 22.02.2026 को दाखिल करने के बाद अभियोजन द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 24.03.2026 को आवेदन इस आशय का दिया गया कि प्रासंगिक काण्ड में अग्रिम पूरक अनुसंधान जारी रखने हेतु अनुसंधान की आवश्यकता है। अभियोजन को उक्त आवेदन पर सुनने के बाद ज्ञात हुआ कि कुछ अति महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे जब्त गांजा को अभियुक्तों द्वारा कहां से लाया गया एवं कहां सप्लाई करना था। प्रासंगिक काण्ड में जब्त देसी कट्टा एवं कारतूस कहां से लाया गया था एवं किस प्रयोजन से लाया गया था। जब्त मोबाईलों का सी0डी0आर0/एस0डी0आर0 जब्त गाड़ियों का सत्यापन आदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अनुसंधान नहीं हुआ है। इस कारण न्यायालय द्वारा अभियोजन के आवेदन दिनांक 24.03.26 को स्वीकृत करते हुये न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2026 के आदेश से अग्रिम पूरक अनुसंधान करके पूरक आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार इस वाद में कुछ अतिमहत्वपूर्ण एवं संवेदनशील बिन्दुओं पर पूरक एवं अग्रिम अनुसंधान जारी है तथा पुलिस द्वारा इस वाद में दाखिल आरोप पत्र के साथ वाद दैनिकी संख्या 01 से 22 तक कंडिका 01 से 143 तक पृष्ठ संख्या 01 से 58 तक का मूल प्रति, आर्म्स जांच प्रतिवेदन(पृष्ठ संख्या 59) का मूल प्रति, अभियोजन स्वीकृति आदेश की मूल प्रति (पृष्ठ संख्या 60) गांजा जांच रिपोर्ट की मूल प्रति (पृष्ठ संख्या 61 एवं 62) तथा आरोप पत्र संख्या 102/26 दिनांक 22.02.26 का मूल प्रति सम्बन्धित कागजातों के साथ संलग्न कर न्यायालय में प्राप्त कराया जा चुका है तथा इस न्यायालय में मूल एफ0एस0एल0 जांच रिपोर्ट दिनांक 30.03.26 को प्राप्त कराया गया है। उक्त एफ0एस0एल0 रिपोर्ट को न्यायालय में दिनांक 02.04.2026 को खोला गया जिसमें जब्त पदार्थ गांजा(THC) कहा गया है। इस वाद में जब्त गांजा की मात्रा 411.650 किलोग्राम है जो व्यवसायिक मात्रा है।

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 37 के अनुसार —

1. इस अधिनियम की धाराएं संज्ञेय एवं अजमानतीय हैं तथा द0प्र0स0 1973(1974 का 02) में किसी बात के होते हुये भी—

(क) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

(ख) (धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा में सम्बन्धित अपराधों के लिए भी दण्डीनीय किसी अपराध) के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी मुक्त किया जायेगा जब—

(i) लोक अभियोजन को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किये गये आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है।

(ii) जहाँ लोकअभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किये जाने की संभावना नहीं है।

—लगातार—

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

NDPS Case No–03/2026

{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित– कमला प्रसाद,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम नीतीश कुमार

–लगातार–

09.04.2026

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के सम्बन्ध में परिसीमाएं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 02) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं।

इस वाद में अभी कुछ अतिसंवेदनशील बिन्दुओं पर अनुसंधान जारी है तथा आवेदक अभियुक्तों के जमानत पर मुक्त होने से साक्ष्यों एवं तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने तथा सबूतों को मिटाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसी वाद का एक सहअभियुक्त ऋषभ सिंह जो आवेदक नितिश सिंह का भाई है जो इस कांड में भागने में सफल रहा था। इसी प्रकृति का एक अन्य मामला वजीतपुर थाना कांड संख्या–89/25 अन्तर्गत धारा–20(b)(ii)(c), 22, 27, 29 एन0डी0पी0 एस0 एक्ट में दरभंगा में गिरफ्तार हो गया है और उसे मण्डल कारा दरभंगा से इस वाद में दिनांक–16.01.26 को रिमांड किया गया है। इस वाद दैनिकी में अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन के केस का पूर्णतः समर्थन किया है तथा अभियुक्तों के इस वाद में गहन संलिप्तता के प्रथम दृष्टया तथ्य एवं साक्ष्य अभिलेख पर उपस्थित है। आवेदक अभियुक्तों पर आरोपित धाराओं में उल्लिखित अपराध गंभीर प्रकृति की है तथा इस वाद में गांजा व्यवसायिक मात्रा में जब्त किया गया है, जिसका वजन 411.650 किलोग्राम है। यह एक सामाजिक अपराध है, जिससे समाज पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कि पुलिस द्वारा मिहिर राजेश शाह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तो/निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, परन्तु इस वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों तथा इस वाद विशेष में तथा स्थान विशेष की सामाजिक परिस्थिति में विधि व्यवस्था, न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था में जनता का अटूट विश्वास बना रहे इसके लिए विचारण न्यायालय द्वारा विधि एवं न्याय व्यवस्था तथा न्यायालय में जनमानस के विश्वास एवं सामाजिक न्याय के बीच सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करने एवं बनाये रखने के उत्तरदायित्व एवं उपरोक्त विवेचन के आलोक मे आवेदक को वाद के इस प्रक्रम पर इस समय जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त **नीतीश कुमार** का जमानत आवेदन **खाारिज** किया जाता है तथा आरक्षी पुलिस अधीक्षक जमुई एवं जिलाधिकारी जमुई को निर्देश दिया जाता है कि मिहिर राजेश साह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य के विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधिकारियों एवं बिना वारेण्ट गिरफ्तार करने की शक्ति जिन व्यक्तियों या एजेन्सियों में निहित है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाय तथा सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के बिना नहीं किया जाय। आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी जमुई तथा आरक्षी अधीक्षक, जमुई को तत्काल प्रेषित किया जाए।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

Approved